# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–290 / 2013)

भंवर करण सिंह **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

**–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 14.07.2023

**उपस्थित :–**

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि मत्स्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी दिनांक 30.07.2010 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत हो गया। सेवाकाल के दौरान दिनांक 30.08.2005 को अपीलार्थी को विभागीय जांच प्रस्तावित होने के कारण निलम्बित किया गया। निलम्बन तिथि से सेवानिवृत तिथि तक अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का कोई निर्वहन भत्ता नहीं दिया गया। सेवानिवृति के पश्चात पेंशन भी नहीं दी जा रही है। अपीलार्थी का संशोधित चयनित वेतनमान नियम, 1998 व 2004 के तहत नियमितिकरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

It is, therefore, prayed that appeal of the appellant be allowed and the respondent may kindly be directed, that:

i. All due full amount of Gratuity, Commutation, Pensionery benefits along with an interest @ 12% p.a. without any further delay.
ii. To pay all due salary, annual increments since 1992, benefits of all due pay fixations in the Revised Pay Scales Rules of 1998 and 2006.
iii. Benefits of all due fixation of pay under the General Revision of Pay Scales which came in to effect from time to time.
iv. Benefits of his all due benefits of Selection Grades in View of Govt. Order dated 25.01.1992 are lying unpaid for want of proper fixation.
v. All due subsistence allowance be directed to be paid which accrued during suspension period w.e.f. 30.08.2005 till his retirement dated 30.07.2010 along with an interest @ 12% p.a, without any further delay.
vi. An interest @ 12% p.a. be also awarded on all the arrears till its payment.
vii. Any other relief as may be deemed just and proper in the facts and circumstances of the case be allowed in favour of the appellant in view of various judgments passed by Hon'ble High Court.

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि वर्ष 2005 में जिन आरोपों के आधार पर इन्हें निलम्बित किया था उन्ही सभी आरोपों के लिए विभागीय जांच में अपीलार्थी दोषी मानते हुए विभाग द्वारा अपीलार्थी को दण्डित करते हुए अपीलार्थी की पेंशन रोके जाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में उक्त निर्णय के अनुमोदन हेतु पत्रावली राज्यपाल महोदय के समक्ष विचाराधीन है। अपीलार्थी को वर्ष 2005 से 2010 तक उनके निलम्बनकाल का निर्वाह भत्ता वर्ष 2011 में ही अदा किया जा चुका है। प्रोविजनल पेंशन आदेश दिनांक 19–6–2015 को जारी कर दिया गया है। वर्ष 2010 में अपीलार्थी सेवानिवृति से लेकर प्रोविजनल पेंशन जारी होने की दिनांक तक का बकाया पेंशन विभाग द्वारा जल्द ही अपीलार्थी को अदा कर दिया जायेगा। अपीलार्थी के कथनानुसार उनका वर्ष 1992 से संशोधित नियमों के अनुसार नवीन वेतनमान निर्धारण नही हुआ है इसका मुख्य कारण निम्नानुसार है :–

(ए) वर्ष 1991 में अपीलार्थी का सेवा अभिलेख गुम हो गया था जिसे पुनः तैयार करने में समय लगा।

(बी) अपीलार्थी अपने सेवाकाल में 1974 से 2001 तक विभिन्न स्थानों पर (12 स्थानों पर ) पदस्थापित रहे, इस कारण अपीलार्थी का नवीन सेवा अभिलेख तैयार करने में उक्त विलम्ब हुआ।

(सी) अपीलार्थी का सम्पूर्ण सेवाकाल असाधारण रहा है। क्योंकि ये अपने अधिकांश सेवाकाल में निलम्बित ही रहे तथा निलम्बनकाल से अन्यथा भी ये समय समय पर बिना कारण बताये सेवा से अनुपस्थित रहे।

उक्त कारणों से अपीलार्थी का वेतन निर्धारण व चयनित वेतनमान संबंधी लाभों के स्वीकृत किये जाने में विलम्ब हुआ है। वर्तमान में विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवा सत्यापित कर वेतन वृद्धियां एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है, जो जल्द ही कर ली जाएगी।

3. अतः उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के अनुसार अपीलार्थी को वर्ष 2005 से 2010 तक का निलम्बन का भत्ता अदा किया जा चुका है। अपीलार्थी को प्रोविजनल पेंशन आदेश जारी किया गया है और अंतिम रूप से पेंशन आदेश जारी किया जाना प्रकट नहीं होता है। यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में वर्ष 1992 से संशोधित नियमों के अनुसार नवीन वेतनमान निर्धारण नहीं किया गया है और यह भी प्रकट होता है कि वेतन निर्धारण चयनित वेतनमान आदि लाभ भी स्वीकृत नहीं किये गये है। साथ ही वेतन वृद्धि व चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किये गये हैं। अतः उपरोक्त

परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

1. प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को निलम्बन काल में देय निर्वहन भत्ते के सम्बन्ध में जांच करेगी एवं यदि अपीलार्थी को निलम्बन काल का निर्वहन भत्ता यदि नहीं दिया गया है तो उसका भुगतान तीन माह में करेगी।
2. अपीलार्थी को अंतिम रूप से पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में उचित निर्णय तीन माह में पारित करेगी।
3. अपीलार्थी के सम्बन्ध में 1992 में संशोधित नियमों के अनुसार वेतन निर्धारण करेगी एवं उसके पश्चात के वेतन नियमों में संशोधन के अनुसार वेतन निर्धारण करेगी एवं उक्तानुसार अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त होता है तो बकाया वेतन तीन माह में अदा करेगी।
4. अपीलार्थी को चयनित वेतनमान सम्बन्धी लाभ के सम्बन्ध में उचित आदेश पारित करेगी एवं प्रत्यर्थी विभाग अगर यह पाता है कि अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है तो उसे चयनित वेतनमान स्वीकृत करते हुए बकाया राशि का भुगतान तीन माह में करेगी।

4. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**